अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
आवेदन संख्या 97 / 2018 (2018 / 00295)

प्रार्थी :–
1. दिलेर खां पुत्र हाजी कासम खां जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी।

बनाम

सत्यमेव जयते

अप्रार्थी :–
1. रूपाराम पुत्र बालूराम
2. मोहनराम पुत्र बालूराम
जाति समस्त कुम्हार निवासियान कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. तहसीलदार, कुचामनसिटी।

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी व सीमा कायम करने अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पुरी

दिनांक 09/07/2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नं0 1099 रकबा 0.55 है0 का सहखातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का खेत खसरा नं0 1100 प्रार्थी के खेत के उत्तर–दक्षिण–पूरब दिशा में आया हुआ है। अप्रार्थीगण खसरा नं0 1099 की भूमि को ताकत के बल पर अपने खेत में मिलाकर प्रार्थी के खेत खसरा नं0 1099 की उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी सीमा की तरफ बढाना चाहता है।
तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक भू0अ0 / 14 दिनांक 18.10.2017 की पालना में प्रार्थी के खेत खसरा नं0 1099 का सीमाज्ञान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुचामनसिटी द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 15.11.2017 को रूबरू मौतबीरान किया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अप्रार्थीगण को सीमा पर पत्थरगढी करने बाबत कहा गया तो अप्रार्थीगण पत्थरगढी करने से इन्कार हो गये और कहने लगे की पत्थरगढी का आदेश लाने पर ही पत्थरगढी करने दी जायेगी।
प्रार्थी के खेत खसरा नं0 1099 की उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी करना आवश्यक है जिससे कि पक्षकारों के मध्य तनाव पैदा नहीं हो एवं पक्षकारान में मध्य शांति बनी रहे इसलिये प्रार्थी के खेत खसरा नं0 1099 की उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी सीमा कायम की जाकर उस पर पत्थरगढी करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं0 1099 की उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी सीमा कायम की जाकर उस पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर शामिल मिसल है। दिनांक 29.06.2018 को अप्रार्थीगण गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी रेकर्डड खातेदार है तथा कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नं0 1099 अपनी खातेदारी की पत्थरगढी कराना कानून उचित है इसलिये पत्थरगढी कायम करने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील प्रार्थी की बहस का मनन एवं प्रार्थी की प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतौनी सम्वत 2070–73, फर्द सीमाज्ञान दिनांक 15.11.2017 का अवलोकन करने पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा सीमाज्ञान होकर फर्द मौका रिपोर्ट शामिल मिसल है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का कानूनन हकदार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है ।

आदेश

कस्बा कुचामनसिटी में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नं0 1099 के उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी खसरा नं0 1099 पर आदेशानुसार पक्षकारान के रूबरू पत्थरगढी कराकर रिपोर्ट पेश करें।तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 09/07/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official